

वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क

प्रलिस के लिये:

जैविक विविधता अभिसमय, कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़, जैविक विविधता, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल

मेन्स के लिये:

नए वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य एवं उद्देश्य

चर्चा में क्यों?

'जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (United Nations Convention on Biological Diversity) ने वर्ष 2030 तक प्रकृति प्रबंधन हेतु विकासशील देशों को वित्त उपलब्ध कराने के लिये वभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की मांग की है।

- यह उन मांगों और लक्ष्यों में से एक है जसि वर्ष 2030 तक एक नए वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के आधिकारिक मसौदे में निर्धारित किया गया है।

जैविक विविधता अभिसमय (CBD)

- जैविक विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity- CBD), जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
 - जैव विविधता का संरक्षण।
 - जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग।
 - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण।
- लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है (अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किये हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है)।
- CBD का सचवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है।
- जैविक विविधता अभिसमय के तहत पार्टियाँ (देश) नियमित अंतराल पर मिलती हैं और इन बैठकों को कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़ (Conference of Parties - COP) कहा जाता है।
- वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में [कार्टाजेना प्रोटोकॉल](#) (Cartagena Protocol on Biosafety) को अपनाया गया था। यह 11 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।
 - यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है।
- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में नागोया प्रोटोकॉल को जापान के नागोया शहर में संपन्न
- COP10 में अपनाया गया था। यह 12 अक्टूबर, 2014 को लागू हुआ।
 - यह प्रोटोकॉल न केवल CBD के तहत शामिल आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े उस पारंपरिक ज्ञान (Traditional knowledge (TK) को भी कवर करता है जो CBD और इसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित है।
- COP-10 में आनुवंशिक संसाधनों पर [नागोया प्रोटोकॉल](#) को अपनाने के साथ, जैव विविधता को बचाने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिये दस वर्ष की रूपरेखा को भी अपनाया गया।
- वर्ष 2010 में नागोया में CBD की [कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़](#) (COP)-10 में वर्ष 2011-2020 हेतु 'जैव विविधता के लिये रणनीतिक योजना' को अपनाया गया। इसमें पहली बार वषिय वशिष्ट 20 जैव विविधता लक्ष्यों- जनिहें [आइसीजैव विविधता लक्ष्य](#) के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया।
- भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम अधिनियमित किया गया।

प्रमुख बंदि:

• पृथुभूमि:

- जैव वविधिता और इससे प्रापुत होने वाले लाभ, मानव कल्याण के साथ-साथ पृथुवी की मौलिक ज़रूरतें हैं । चल रहे परयासों के बावजूद वैशुविक स्तर पर जैव वविधिता की स्थिति बिगिड़ रही है तथा व्यापार-उद्देश्यों के तहत इसमें गरिवट जारी रहने या इसके और खराब होने का अनुमान है ।
- वर्ष 2020 के बाद का वैशुविक जैव वविधिता फ्रेमवरक जैव वविधिता 2011-2020 हेतु एक रणनीतिक योजना पर आधारित है ।
 - **जैव वविधिता पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2011-2020** (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020) के समाप्त होने के साथ ही **IUCN** द्वारा सक्रयि रूप से एक महत्त्वाकांक्षी नए वैशुविक जैव वविधिता ढाँचे के विकास को अपनाए जाने का आहवान कयिा जा रहा है ।

• उद्देश्य:

- मार्गदर्शक बल/शक्ति: यह एक नया फ्रेमवरक/ढाँचा है जो प्रकृति की रक्षा करने और वर्ष 2020 से वर्ष 2030 तक मनुष्यों के लयि इसकी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने हेतु एक वैशुविक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करेगा ।
- लक्ष्य निर्धारित करना: यह राष्ट्रीय और कषेत्रीय लक्ष्यों को निर्धारित एवं विकसित करने, आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय रणनीतयिों और कार्य योजनाओं को अद्यतन करने, वैशुविक स्तर पर प्रगतिकी नियमित नगिरानी तथा समीक्षा करने हेतु कन्वेंशन के 196 दलों के लयि एक वैशुविक, परिणाम-उन्मुख ढाँचा है ।
- तत्काल और परिवर्तनकारी कार्रवाई: फ्रेमवरक का उद्देश्य सरकारों और संपूर्ण समाज द्वारा जैविक वविधिता, इसके प्रोटोकॉल और अन्य जैव वविधिता से संबंधित बहुपक्षीय समझौतों, प्रक्रयिओं तथा उपकरणों पर कन्वेंशन के उद्देश्यों में योगदान करने हेतु तत्काल परिवर्तनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना है ।
- क्षमता निर्माण: इसका उद्देश्य लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संरक्षण उपाय करने के लयि समुदायों/सरकारों के उचित क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना है ।
 - इनमें उन देशों को वविदासुपद प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है जिनके पास वर्तमान में व्यापक वैजुज्ञानिक सहयोग और प्रौद्योगिकी नहीं है ।

• लक्ष्य और उद्देश्य:

- वर्ष 2050 तक नए फ्रेमवरक के नमिनलखिति चार लक्ष्यों को प्रापुत कयिा जाना है:
 - जैव वविधिता के वल्लिपुत होने तथा उसमें गरिवट को रोकना ।
 - संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लयि प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाने और उन्हें बनाए रखना ।
 - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लयि उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना ।
 - वर्ष 2050 के वजिन को प्रापुत करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना ।
- **2030 कार्य-उन्मुख लक्ष्य** : 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लयि इस फ्रेमवरक में 21 कार्य-उन्मुख लक्ष्य हैं ।
 - उनमें से एक है संरक्षित कषेत्रों के तहत वशिव के कम-से-कम 30% भूमि और समुद्र कषेत्र को लाना ।
 - एक अन्य लक्ष्य जैव वविधिता के लयि हानिकारक प्रोत्साहनों को पुनर्निर्देशित करना, उनका पुनः उपयोग करना, सुधार करना और उचित एवं न्यायसंगत तरीके से उन्हें प्रतर्विष कम-से-कम 500 बलियिन डॉलर से कम करना" है ।

• SDGs के साथ संबंध:

- यह फ्रेमवरक 'सतत् विकास के लयि 2030 एजेंडा' के कार्यान्वयन में एक मौलिक योगदान है ।
- साथ ही सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की दशिा में प्रगतिकी के लयि रूपरेखा को लागू करने हेतु आवश्यक शर्तें तैयार करने में मदद मल्लिगी ।


• वित्तीय सहायता की आवश्यकता:

- विकासशील देशों के लयि और अधिक वित्तीय सहायता हेतु फ्रेमवरक की मांग, जैव वविधिता के नुकसान से संबंधित पीड़ितों की सहायता करने के लयि सबसे कठिन है ।
- इस फ्रेमवरक को लागू करने के लयि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं जो वर्ष 2030 तक प्रतर्विष कम-से-कम 700 बलियिन डॉलर तक के वित्तपोषण के अंतर को उत्तरोत्तर कम करेंगे ।

- वित्तीय प्रतबिद्धता को प्रतविर्ष कम-से-कम \$200 बलियिन तक बढाना होगा । इसमें वकिसशील देशों को प्रतविर्ष 10 अरब डॉलर का अतरिकित अंतरराष्टरीय वित्तीय प्रवाह शामिल है ।

फरेमवरक में परविरतन का सदिधांत:

- इस फरेमवरक को परविरतन के सदिधांत के आधार पर बनाया गया है जो यह मानता है क आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय मॉडल को बदलने के लिये वैश्विक, कषेत्रीय एवं राष्टरीय स्तर पर तत्काल नीतगित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।
- जनि प्रवृत्तियों ने जैव वविधिता के नुकसान को बढाया है, वे अगले 10 वर्षों (2030 तक) में स्थरि हो जाएंगे और वर्ष 2050 तक "प्रकृतिके साथ सद्भाव में रहने" संबंधी अभसिमय के दृषटकिेण को प्राप्त करने के लिये अगले 20 वर्षों में प्राकृतिकि पारस्थितिकि तंत्र में सुधार करने में सहायता करेगें ।



//

स्रोत-डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/post-2020-global-biodiversity-framework>

